A2/2

11.6.XVIII अधिवक्तागण उप. संशोधित प्रार्थनापत्र हेतु समय चाहा गया। पत्रावली दि 20.6.XVIII को पेश हो।
[signature]

14.6.XVIII प्रार्थी आदि हाजिर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली [illegible] में ली गयी। वादी एवं प्रतिवादी ~2 हाजिर उप-उपरोक्त [illegible] होने की [illegible] से पत्रावली खारिज करने का निवेदन किया गया जिसकी तस्दीक आदि वादी द्वारा की गयी। अतः पत्रावली वास्ते निस्तारण कैम्प दि 15.6.XVIII को पेश हो।
[signature]

कुलदीप सिंह

गुरमीत कौर

Identified by Adv Rajesh

15.6.XVIII पत्रावली कैम्प-3 हाल में ली गयी। सुलहनामा पक्ष व्याख्या के परिणामस्वरूप स्वीकृत की गयी है। ऐसी स्थिति में विविध पत्रावली पर विचारण औचित्यहीन होने के कारण पत्रावली नस्तीबद्ध की जाती है। पत्रावली वापसी पंजिका के क्रम से दर्ज किया जाकर नियम से सूचि में शामिल हो।
[signature]
(श्रीमती रीना चौरसिया)